# मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग

## कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग
## जिला – छिंदवाड़ा

## योजनाओं की प्रगति
## वर्ष – 2007–08
## माह सितम्बर –2007

मत्स्योद्योग विभाग जिला छिन्दवाड़ा

# मत्स्योद्योग विभाग जिला– छिन्दवाड़ा

## मत्स्योद्योग विभाग की योजनाऍ एवं कार्यः–

### 1.मत्स्य पालन हेतु तालाब पट्टा आबंटनः–

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत मत्स्य पालन हेतु 0 से 10 हेक्टर औसत जलक्षैत्र तक के तालाब ग्राम पंचायत के माध्यम से 10 वर्षीय अवधि के लिये स्थानीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियो का प्रदाय किये जाते हैं। 10 हैक्टर से 200 हेक्टर औसत जलक्षैत्र के तालाब / जलाशय जनपद पंचायत के माध्यम से पट्टे पर मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर आबंटित करने का अधिकार जिला पंचायत को प्राप्त है।

पट्टा आबंटन हेतु प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार है –

1. मछुआ जाति की सहकारी समितियां
2. मछुआ जाति के समुह
3. मछुआ जाति के व्यक्ति

### 2. मछुआ सहकारी सतितियों का गठन / पंजीयन–

सहकारिता को बढावा देने जिससे कि हितग्राहियों में मिल जुलकर साथ–साथ कार्य करने की प्रवृति बने, इन हितग्राहियो को आपस में संगठित कर मत्स्योद्योग सहकारी समिति का गठन किया जाता हैं। सहकारी समिति के गठन पश्चात इन समितियों को मत्स्योद्योग विभाग की ऋण/अनुदान आदि योजनाओ से लाभांवित किया जाता हैं। समिति गठन हेतु संगठन अधिकारी एवं संबंधित पंचायत के द्वारा प्रस्तुत आवेदन /प्रस्ताव पर मत्स्योद्योग विभाग की अनुशंसा आदि योजनाओं से लाभांवित किया जाता है। समिति गठन हेतु संगठन आधिकारी एवं संबंधित पंचायत के द्वारा प्रस्तुत आवेदन/प्रस्ताव पर मत्स्योद्योग विभाग की अनुशंसा पश्चात उप पंजीयन सहकारी संस्थाएं को पंजीयन हेतु प्रेष्ति किया जाता है।

### 3.अनु.जाति/जनजाति मत्स्योद्योग सहकारी समिति अनुदान –

अनु.जाति/जनजाति वर्ग की सहकारी समितियों को अनुदान हेतु प्रस्ताव समितियों एवं पंचायत से प्राप्त कर मत्स्योद्योग विभाग द्वारा जिला पंचायत की कृषी स्थाई समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदन प्राप्त कर अनु. जाति एवं अनु जनजाति वर्ग की सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी, तालाब पट्टा राशी , मछली बीज क्रय एवं संचयन, धागा क्रय ,नाव क्रय हेतु रुपये 1.50 लाख तक अनुदान प्रदाय किया जाता है। सामान्य मछुआ वर्ग की समितियों को अधिकतम रु.0.025 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जाता हे।

## 4.अनुं. जनजाति/जाति मत्स्य पालकों को अनुदानः–

अनु.जनजाति/जाति वर्ग के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु अनुदान के आवेदन संबंधित पंचायत के अनुमोदन पश्चात कार्यालय में प्राप्त होने पर हितग्राहियों की सूची का जिला पंचायत की कृषि समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर मत्स्य पालकों को अधिकतम रूपये 15000/– तक का अनुदान प्रदाय किया जाता हैं ।

## 5.मत्स्य पालन तकनीकी प्रशिक्षण :–

मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की उन्नत तकनीक एवं वैज्ञानिक पद्वतियों से परिचय कराने हेतु मतस्योघोग विभाग द्वारा 15 दिवस का प्रशिक्षण मत्स्य पालकों को दिया जाता हैं । इसमें जाल बुनना सिखाया जाता हैं एवं मात्स्यिकी विज्ञान की तकनीकी जानकारी दी जाती हैं, जिससे कृषक अधिक लाभ अर्जित कर सकें । इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को रूपये 50/– प्रति दिवस की दर से छात्रवृत्ति एवं जाल बुनने हेतु रूपये 400/– का नायलोन धागा प्रदाय किया जाता हैं ।

## 6. प्रगतिशील मत्स्य कृषकों का प्रदेश के बाहर अध्ययन भ्रमण :–

प्रतिवर्ष जिले के प्रगतिशील मत्स्य पालकों को प्रदेश के बाहर मत्स्योद्योग के अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया है। कृषक भ्रमण दौरान मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों एवं आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीको को सीखकर अपने तालाबों से अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करते हैं। यह अध्ययन भ्रमण शत प्रतिशत शासकीय व्यय पर किया गया हैं।

## 7. निःशुल्क दुर्घटना बीमा :–

जिले के समस्त मत्स्य कृषकों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा मत्स्याद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। बीमित मत्स्य पालक के बीमा हेतु प्रीमियम राशि विभाग द्वारा अनुदान स्वरुप जमा कराई जाती हैं। बीमीत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को रुपय 75000/– एवं स्थाई अपंगता का जाने पर रुपय 35000/– की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

## मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की योजनाऍ :–

### 1. स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण :–

मत्स्य कृषकों की स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण हेतु आवेदन संबंधित पंचायतों के अनुमोदन पश्चात प्राप्त होने पर बैंक प्रकरण संबंधित बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। 1.00 हेक्टयर भूमि पर तालाब निर्माण हेतु रुपय 2.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मत्स्योद्योग विभाग द्वारा इस ऋण पर अनु.जाति / जनजाति के कृषकों को 25 प्रतिशत एव सामान्य / पिछडा वर्ग के कृषकों को 20 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता हैं।

**2. मत्स्य पालन प्रशिक्षण :–**

ग्रामीण तालाबों के पट्टाधारकों / निजी मत्स्य पालकों को 10 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता हैं। इस दौरान रुपय 100/– प्रति दिवस की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है एवं मत्स्य पालन का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया जाता हैं।

**3. पौण्ड कल्चर योजना :–**

मत्स्य पालकों को पट्टे पर आंवटित तालाबों में मछली पालन हेतु इस योजना अन्तर्गत रूपये 90,000/– तक के बैंक प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु संबंधित बैंकों को प्रस्तुत किये गये हैं । बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रकरणों पर अनु0जाति/अनु0जनजाति के कृषकों को 25 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों 20 प्रतिशत अनुदान प्रति हेक्टेयर की दर से मत्स्योघोग विभाग द्वारा प्रदाय किया जाता हैं ।

**4. एकीकृत मत्स्य पालन योजना :–**

मछली सह बतख, मछली सह मुर्गीपालन, मछली सह पशु पालन इत्यादि एकीकृत योजनाओं हेतु 1.00 हेक्टेयर के तालाब हेतु रूपये 0.80 लाख की सहायता बैंक द्वारा प्रदाय कराई जाती है । बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रकरणों पर अनु0जाति/अनु0जनजाति के कृषकों को 25 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों 20 प्रतिशत अनुदान प्रति हेक्टेयर की दर से मत्स्योघोग विभाग द्वारा प्रदाय किया जाता हैं ।

**5. तालाब जीर्णेद्वार पर सहायता :–**

मत्स्य पालको को पट्टे पर आवंटित तालाब की सफाई / मरम्मत हेतु रु.0.60 लाख का बैंक ऋण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है जिस पर अनु.जाति / अनु. जनजाति वर्ग के मत्स्य पालको को 25 प्रतिशत एवं अन्य समस्त वर्ग के कृषकों को 20 प्रतिशत अनुदान की पात्रता हैं।

## –: जिले में उपलब्ध जल संसाधन :–

| क्रं. | विवरण | उपलब्ध तालाब | | मत्स्य पालन अंतर्गत | | शेष रहा जलक्षेत्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | जलक्षेत्र | संख्या | जलक्षेत्र | संख्या | जलक्षेत्र |
| 1. | ग्रामीण तालाब | 359 | 494 | 359 | 494 | – | – |
| 2. | सिंचाई जलाशय | 56 | 6205 | 56 | 6205 | – | – |
| 3. | अन्य तालाब (नगर पालिका, रेल्वे, पुल फण्ड, निजी ) | 147 | 155.25 | 147 | 155.25 | – | – |
| | योग | 562 | 6854.25 | 562 | 6854.25 | – | – |

# मत्स्योघोग विभाग जिला छिंदवाड़ा

प्रगति की जानकारी वर्ष 2007–08 दिनांक 30.9.2007 तक

| क्रमांक | कार्य का विवरण | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1. | मत्स्य बीज उत्पादन | | |
| | स्पान | 25.00 लाख | 24.00 |
| | फ्राई | 15.00 लाख | 17.56 |
| | विभागीय जलाशय में मत्स्य बीज संचयन | 1.38 लाख | — |
| | विभागीय जलाशय में मत्स्य उत्पादन | 17.00 लाख | 5.478 |
| | विभागीय आय | 2.106 लाख | 1.39081 |
| | मत्स्य कृषको को प्रशिक्षण | 44 कृषक | — |
| | सहकारी समिति सहायता | — | — |
| | 1. ऋण | — | — |
| | 2. अनुदान | 2.00 लाख | — |
| | निजी मत्स्य पालक अनुदान | | |
| | 1. अनुसूचित जनजाति | 0.35 लाख | — |
| | 2. अनुसूचित जाति | 0.15 लाख | — |

मत्स्योद्योग विभाग जिला छिन्दवाड़ा

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना की प्रगति

| क्रमांक | कार्य का विवरण | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्रामीण तालाब पट्टा | 15,000 हेक्टे. | 9.50 |
| 2. | मत्स्य बीज संचयन | 45.00 लाख | 94.00 |
| 3. | मत्स्य उत्पादन (समस्त स्त्रोतो से) | 500.00 टन | 309.778 |
| 4. | निजी भूमि पर ता0निर्माण प्रस्तुत प्रकरण | | |
| | 1.बैंको को प्रस्तुत प्रकरण | 32.00 लाख | 25.20 |
| | 2.बैंको द्वारा स्वीकृत प्रकरण | 32.80 लाख | 6.55 |
| | 3.अनुदान वितरण | 7.20 लाख | 1.319 |
| 5. | मत्स्य कृषकों का प्रशिक्षण | 10 संख्या | – |

सहायक संचालक मत्स्योघोग,
जिला–छिंदवाड़ा